JSKB MORENA

Always With You Since 1919

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मुरैना के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं/मुख्यालय मुरैना एवं बैंक के अन्य परिसर में एक वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र सुरक्षा सेवाओं के लिए निविदा दस्तावेज।

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

निविदा सूचना

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मुरैना, मुरैना एवं श्योपुर जिले में अपने मुख्यालय एवं विभिन्न बैंक शाखाओं तथा बैंक के अन्य परिसरों के लिए सशस्त्र (बंदूकधारी) सुरक्षा सेवाओं के लिए दर अनुबंध के लिए स्थापित एजेंसियों /फर्मों / संगठनों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है।

पूर्ण विवरण और निविदा दस्तावेजों के लिए कृपया उपरोक्त पते पर प्रशासन विभाग, दूसरी मंजिल पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3.30 बजे के बीच संपर्क करें या **www.jskbmorena.in** पर लॉग इन करें और **"Tender"** पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं।

इस निविदा के संबंध में नियम और शर्तों में सुधार /जोड़ /विलोपन जैसी कोई और जानकारी केवल हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ये संशोधन सभी विक्रेताओं/बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होंगे।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मुरैना बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को पूर्ण / आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 24.5.2022 को 16.00 बजे (सायं 4 बजे) तक है।

दिनांक : 17.05.2022
स्थान : मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. सदर बाजार मुरैना (म.प्र.)

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

विषय–सूची

स.क्र.	संक्षिप्त विवरण	पृष्ठ संख्या
1	कवर पृष्ठ	1
2	निविदा सूचना	2
3	विषय–सूची	3
4	सीलबंद निविदा अनुसूची/बोलीदाताओं को निर्देश	4
5	निविदा की तकनीकि एंव वित्तीय पात्रता शर्ते	5
6	बैंक शाखायें एवं अन्य परिसर (जहा सुरक्षा गार्ड तैनात)	6
6	सुरक्षा सेवाओं के प्रावधान के लिए अनुबंध का अनुशंसित प्रारूप	7 से 11
7	**ANNEXURE-A** (अनेक्जर–''अ'') ;सुरक्षा सेवाओं के लिए निविदा के लिए आवेदन पत्र (तकनीकी बोली)	12 से 15
8	**ANNEXURE-B** (अनेक्जर–''ब'') सशस्त्र सुरक्षा सेवाओं के लिए वित्तीय बोली	16 से 17

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

सीलबंद निविदा अनुसूची/बोलीदाताओं को निर्देश

निविदा क्र.एवं दिनांक	क्रमांक 294 दिनांक 17.05.2022
विज्ञप्ति प्रकाशन दि०	18.05.2022
निविदा बैवसाईट पर उपलब्धता का दिनांक	18.05.2022
निविदा शुल्क और निविदा दस्तावेज	निविदा शुल्क 200 दौ सौ रूपये। (जो कि फोर्म को बैवसाइट ''**jskbmorena.in**'' से डाउनलोड किया जाकर) जमा करते समय एक अलग लिफाफे में डिमाण्ड ड्राफ्ट/हमारी ''जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मुरैना'' के नाम से टेंडर फोर्म के साथ जमा किया जा सकता है अथवा हमारी बैंक शाखा– अमानत सदर बाजार मुरैना में नगद राशि जमा कर टेंडर फोर्म प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत रसीद को टेंडर आवेदन में पृथक लिफाफा के साथ जमा किया जा सकता है।
अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट	अर्नेस्ट मनी डिपोजिट रु. 10000/– (केवल दस हजार) ''जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मुरैना'' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में एक अलग लिफाफे में निविदा जमा करने के समय मुरैना में देय होगा अथवा राशि को हमारी बैंक शाखा–अमानत मुरैना में नगद भी जमा की जा सकती है, जिसकी रसीद टेंडर फोर्म के साथ संलग्न करे।
निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 24.05.2022 समय 4 बजे तक द्वितीय तल जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मुख्यालय– हुनमान चौराहा, सदर बाजार मुरैना में आवक–जावक विभाग में प्रेषित करना अनिवार्य है। निर्धारित दिनांक एवं समय के उपरान्त निविदा अस्वीकार है, जिस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 25.05.2022 समय 11 बजे तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मुख्यालय– हुनमान चौराहा, सदर बाजार मुरैना में उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। यदि निविदाकार निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं रहते हैं, तो सीलबंद निविदायें बैंक अधिकृत कमेटी के समक्ष बिना निविदाकार की उपस्थिति में खोली जावेगी।

नोटः उक्त निविदायें (निविदा शुल्क लिफाफ, अर्नेस्ट मनी लिफाफा एवं अन्य शर्तो के टेक्नीकल दस्तावेजों का लिफाफा एवं वित्तीय बोली दर का लिफाफा इन सभी को मिलाकर एक बड़े लिफाफे में सीलबंद निविदा जिस पर *''सशस्त्र (बंदूकधारी) सुरक्षा सेवाओं के लिए निविदा''* अंकित करें, को बैंक के निम्नानुसार पते पर निर्धारित समय–सीमा में स्वयं/प्रतिनिधि के माध्यम से / रजिस्टर्ड/स्पीड/कोरियर डाक से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मुरैना
मुख्यालय– हनुमान चौराहे के पास,
सदर बाजार मुरैना (म.प्र.) पिन–476001
फोन– (07532) 224480, 228092

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

निविदा की तकनीकि एंव वित्तीय पात्रता शर्ते

1. निजि सुरक्षा कंपनी/ऐजेंसी ''शॉप एण्ड इस्टेब्लेसमेंट एक्ट 1958'' कर्मचारी भविष्यनिधि आयुक्त तथा राज्य बीमा योजनान्तर्गत एवं निर्धारित सुरक्षागार्ड ऐजेंसी/कंपनी/फर्म के नियमानुसार शासन के अन्य आवश्यक विभागों में पंजीकृत होनी चाहिये।
2. सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा कर्मी औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंक एवं अग्निशमन व सुरक्षा कार्य का अनुभवी होना चाहिये।
3. सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मियों के भविष्य निधि के संबंध में पूर्व विवरण प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा।
4. उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मी अधिकतम 45 वर्ष आयु एवं हष्ट पुष्ट स्थिति में होना चाहिये।
5. बैंक को उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मी बैंक द्वारा निर्धारित वर्दी धारण करेंगे एवं वर्दी सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।
6. सुरक्षा कर्मी बंदूक धारी होने चाहिये।
7. बैंक को उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मियों में सेवा निवृत्त सैन्य/ पुलिसकर्मी होने पर एजेंसी को वरियता दी जावेगी।
8. निविदाकारों द्वारा अपने आमंत्रित प्रस्ताव के साथ ''जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मुरैना'' के पक्ष में अर्नेस्ट मनी की राशि 10000/– का डी.डी. अथवा बैंक की शाखा अमानत मुरैना में उक्त राशि की जमा रसीद आवेदन के साथ लगाकर प्रस्तुत करना होगी, जो कि पूर्णतः रिफन्डेबल है।
9. बैंक द्वारा प्रथमवार में एक वर्ष का एग्रीमेन्ट किया जावेगा एवं सेवायें संतोषजनक होने पर एग्रीमेन्ट के विस्तार पर संचालक मण्डल/प्रबंधन द्वारा अधिकृत कमेटी द्वारा विचार किया जावेगा।
10. सुरक्षा गार्ड ऐजेंसी का चयन सभी निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दरों में सबसे कम पाई जाने वाली दरों के आधार पर किया जावेगा।
11. चयनित सुरक्षा गार्ड एजेंसी को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मुरैना में ऐजेंसी का एक खाता खोलना होगा एवं संचालन करना होगा।
12. सुरक्षा ऐजेंसी द्वारा जो भी दरें प्रस्तुत की जावेगी, जिसमें सुरक्षा गार्ड को भुगतान योग्य होने वाली संपूर्ण राशि को सुरक्षा एजेंसी संबंधित लगाये जाने वाले गार्डों के खातों में प्रेषित करेगी एवं अन्य कटोत्रा (पी.एफ. आदि) नियमानुसार जमा किया जावेगा, जिसकी रिपोर्ट बैंक को आगामी बिलों के साथ प्रेषित करनी होगी।
13. सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रेषित दरों में जो भी दरें अंकित की जा रही है, उन्ही दरों के आधार पर जो भी दरें प्रति गार्ड हेतु दर्शाई जावेगी उन्हीं दरों पर जो भी पी.एफ. एवं अन्य कटौत्रा दर्शाया जावेगा वह संबंधित गार्ड के नियमानुसार पी.एफ. एवं अन्य खातों/विभाग में जमा किया जावेगा।
14. सफल निविदाकार को जारी कार्यादेश उपरान्त परफोरमेंट सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में राशि 100000/– एक लाख रूपये डी.डी. अथवा बैंक की शाखा अमानत मुरैना में उक्त राशि की जमा रसीद आवेदन के साथ लगाकर प्रस्तुत करना होगी, अनुबंध के संतोषजनक प्रदर्शन पर निविदा अवधि समाप्त होने के बाद समान राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

वर्तमान बैंक शाखायें एवं अन्य परिसर

(जहाँ सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे)

क्र	नाम शाखा / बैंक परिसर	स्थान	जिला
1.	बैंक मुख्यालय परिसर	सदर बाजार मुरैना	मुरैना
2	शाखा–पोरसा	पोरसा	मुरैना
3	शाखा–अम्बाह	अम्बाह	मुरैना
4	शाखा–रिठौराकलां	रिठौराकलां	मुरैना
5	शाखा–बानमौर	बानमौर	मुरैना
6	शाखा–अमानत मुरैना	सदर बाजार शहर मुरैना	मुरैना
7	शाखा–मण्डी मुरैना	कृषि उपज मण्डी प्रांगण शहर मुरैना	मुरैना
8	शाखा–जौरा	जौरा	मुरैना
9	शाखा–कैलारस	कैलारस	मुरैना
10	शाखा–पहाड़गढ़	पहाड़गढ़	मुरैना
11	शाखा–सबलगढ़	सबलगढ़	मुरैना
12	रेस्ट हाउस	जिला पंचायत के सामने शहर मुरैना	मुरैना
13	शाखा–वीरपुर	वीरपुर	श्योपुर
14	शाखा–विजयपुर	विजयपुर	श्योपुर
15	शाखा–कराहल	कराहल	श्योपुर
16	शाखा–श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर
17	शाखा–फिलोजपुरा	फिलोजपुरा	श्योपुर
18	शाखा– प्रेमसर	प्रेमसर	श्योपुर
19	शाखा– बड़ौदा	बड़ौदा	श्योपुर
20	शाखा–दांतरदा	दांतरदा	श्योपुर

कृपया ध्यान दें कि कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार स्थानों को जोड़ा या हटाया जा सकता है।

उपरोक्त सेवा आवश्यकताएँ और स्थान सांकेतिक हैं और आवश्यकता के अनुसार अनुबंध अवधि के दौरान इन्हें बदला जा सकता है।

बैंक को उपरोक्त वर्णित सशस्त्र (बंदूकधारी) सुरक्षा गार्डों की संख्या में वृद्धि या कमी का अधिकार है और यह भी तय कर सकता है कि किसी भी स्थान पर सुरक्षा सेवाओं की आवश्यकता है या नहीं।

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

सुरक्षा सेवाओं के प्रावधान के लिए अनुबंध का अनुशंसित प्रारूप

मैसर्स ....

द्वाराः–................

–––––––प्रथम पक्षकार (सुरक्षा ऐजेंसी)

एवं

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मुरैना, द्वाराः अधिकृत अधिकारी, बैंक मुख्यालय सदर बाजार मुरैना (म.प्र.)

–––––––द्वितीय पक्षकार (बैंक)

हम पक्षकारान अपनी अपनी संस्थाओं से उक्त अनुबंध पत्र निष्पादित करने के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत एवं सक्षम है और हमारे द्वारा यह अनुबंध स्वेच्छापूर्वक संपादित किया जा रहा है।

यह कि द्वितीय पक्षकार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. जिला मुरैना एवं श्योपुर की समस्त शाखाओं एवं बैंक मुख्यालय मुरैना एवं बैंक द्वारा दिये गये निर्देश स्थल पर बंदूकधारी सिक्योरिटी गार्ड (बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी) उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिसके बावत प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार से एक (1) वर्ष का अनुबंध किया जा रहा है। अनुबंध की शर्तें निम्नानुसार हैः–

शर्तें

1. सुरक्षा ऐजेंसी ''मैसर्स ....'' को उनके स्वंय के द्वारा प्रस्तुत निविदा की न्यूनतम दर के आधार पर प्रति गार्ड बिल राशि *(जो भी चयनित होगी)* का भुगतान संबंधित सुरक्षा एजेंसी को किया जावेगा। उक्त निर्धारित बिल राशि में बैंक नियमानुसार जी.एस.टी. संबंधित विभाग/ ऐजेंसी को भुगतान करेगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करेगा। यदि निर्धारित उक्त बिल राशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के टेक्स, हर्जाना अथवा अन्य व्यय की मांग बैंक से की जाती है तो उसका भुगतान सुरक्षा एजेंसी द्वारा किया जावेगा। यदि भुगतान सुरक्षा एजेंसी द्वारा नहीं किया जाता है तो बैंक को हक होगा की वह सुरक्षा ऐजेंसी को भुगतान की जाने वाली राशि में से काटकर अन्य टेक्स या व्यय की पूर्ति करेगा, जिसमें सुरक्षा एजेंसी द्वारा कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया जावेगा।

2. सिक्योरिटी एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि बंदूकधारी गार्ड को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मुरैना मुख्यालय मुरैना अथवा संबंधित शाखा के शाखा प्रबंधक द्वारा बताये गये समय पर प्रति 8 घंटे प्रति दिन अन्तर्गत (रात्रीकालीन अथवा प्रातः कालीन अथवा व्यवसायिक समय) जो भी निश्चित होगा, अन्तर्गत संबंधित शाखा/मुख्यालय पर बंदूकधारी गार्ड तैनात किया जायेगा।

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

3. सिक्योरिटी ऐजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि बंदूकधारी गार्ड, सिक्योरिटी एजेंसी की निर्धारित वर्दी, बंदूक के साथ, उचित फोटो पहचान पत्र, नाम टैब, सीटी इत्यादि के साथ सुरक्षा हेतु तयनात रहेंगे।

4. सिक्योरिटी ऐजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि बंदूकधारी गार्ड हथियार के साथ तैनात रहेंगे एवं आपातकाल में सक्रियता के साथ आवश्यक कार्यवाही करेगा।

5. सिक्योरिटी ऐजेंसी गार्डों को सुरक्षा सेवाऐं प्रदान करने के अपने कर्तव्य के अलावा निम्नलिखित कर्तव्यों को निभाने के लिये प्रतिबंद्ध होंगे :–
   अ. शाखा से नगदी प्रेषण (शाखाओं में नगदी लाने व लेजाने सहित) के समय सुरक्षा प्रदान करना।
   ब. शाखा में ड्यूटी के दौरान सतर्कता रखें।

6. सिक्योरिटी ऐजेंसी यह सुनिश्वित करेगा कि बंदूकधारी गार्ड अजनबियों से किसी भी खाने योग्य वस्तु, चाय, कॉफी, तम्बाकू को स्वीकार नहीं करेगा।

7. सिक्योरिटी ऐजेंसी द्वारा प्रदान किया गया सुरक्षा गार्ड मानसिक एवं शारिरिक रूप से फिट होगा एवं सुरक्षा गार्ड की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

8. सिक्योरिटी ऐजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि बंदूकधारी गार्ड शाखा प्रबंधक अथवा संबंधित बैंक के अधिकारी को रिपोर्ट करेगा और अपने सामान्य निर्देशों के तहत कार्य करेगा।

9. सिक्योरिटी एजेंसी के सुरक्षा पर्यवेक्षक माह में कम से कम एक बार संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी को ब्रीफिंग / डीब्रीफिंग के लिये या जब भी बैंक अधिकारी द्वारा दिये गये निर्धारित समय,दिनांक एवं स्थान पर रिपोर्ट करेंगे।

10. सिक्योरिटी एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि निर्धारित ड्यूटी समय के दौरान किसी भी समय गार्ड अपनी डयूटी के स्थान को नहीं छोड़ेगा। सुरक्षा एजेंसी, नियमित बंदूकधारी गार्ड के अवकाश पर होने पर रिलीवर भेजने की व्यवस्था करेगा।

11. सिक्योरिटी एजेंसी शॉप एण्ड इस्टेब्लेसमेंट एक्ट के अनुसार गार्डो की तातारीख रिकॉर्ड बनाये रखेगा और विभिन्न कानूनों के तहत सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा, जो भी सुरक्षा ऐजेंसी पर लागू हो, का निर्वहन वह स्वयं करेगा, जिसमें बैंक पर किसी भी प्रकार के किये गये जुर्माना / दण्ड के लिये सुरक्षा एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी, जिसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

12. सुरक्षा ऐजेंसी बैंक मुख्यालय/शाखाओं में तैनात किये जाने वाले सुरक्षा गार्डो के द्वारा सभी कृत्यों के लिये पूरी जिम्मेदार होगी और एसी स्थितियों से उत्पन्न सभी देनदारियों को पूरा करेगे।

13. सुरक्षा एजेंसी बैंक के निर्देशों पर तुरंत बंदूकधारी गार्ड को बदल देगा यदि उस विशेष बंदूकधारी गार्ड का कार्य स्वीकार्य नहीं है या शारीरिक रूप से / चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया गया है और इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

14. सुरक्षा एजेंसी केवल सौंपे गए कर्तव्य को कुशलतापूर्वक निष्पादित करेंगे।

15. सुरक्षा एजेंसी वेतन के भुगतान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, अन्य सभी वैधानिक दायित्वों के लिए गार्ड (या उनके आश्रित) वेतन / मजदूरी, बोनस, बकाया, रोजगार, टर्मिनल लाभ, मुआवजे और अन्य दावों के कारण और बैंक का ऐसे मामलों के संबंध में कोई संबंध नहीं होगा।

16. किसी भी दुर्घटना के मामले में जो कि सुरक्षा गार्ड द्वारा निर्मित अथवा उसके साथ की गई हो (ड्यूटी के दौरान मृत्यु छोटे / बड़े / घातक सहित) क्षतिपूर्ति देने की ज़िम्मेदारी, यदि कोई हो, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी, जिसमें बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा।

17. यदि किसी कारण से, क्षतिपूर्ति, लागत आदि का भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है, तो सुरक्षा एजेंसी द्वारा बैंक को बिना किसी संकोच के प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसमें निपटान तक के बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज शामिल है।

18. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक के परिसरों में पहरेदारों के कर्तव्यों का कड़ाई से पालन किया जाता है क्योंकि उन्हें बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया गया है। सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि विशेष पद पर विस्तृत गार्ड कर्तव्यों को पढ़े और समझे।

19. बैंक की संपत्ति या सामग्री की चोरी, डकैती, डकैती या अन्य स्थिति में, सुरक्षा एजेंसी मामले की जांच के लिए बैंक की सक्रिय रूप से सहायता करेगा और यदि उक्त के कारण में सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये गार्ड की लापरवाही / मिलीभगत की स्थिति पाई जाने पर नुकसान की भरपाई सुरक्षा ऐजेंसी द्वारा की जावेगी।

20. सुरक्षा एजेंसी द्वारा गार्ड की लापरवाही के कारण बैंक के कर्मचारियों एवं बैंक की किसी भी संपत्ति के नुकसान / चोट के मामले में / या ड्यूटी में लापरवाही बरतने या गार्ड की असावधानी के कारण, ऐसी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियों को पूरी तरह से पूरा किया जाएगा।

21. सुरक्षा एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक अधिकारी से पूर्व अनुमति के साथ या बैंक अधिकारी से ऐसी सलाह प्राप्त होने पर तीन महीने में कम से कम एक बार किसी विशेष पद पर गार्ड का रोटेशन करना चाहिये।

22. सुरक्षा एजेंसी नवीनतम फोटो, अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर के साथ समय–समय पर बैंक के परिसर में तैनात किए जाने वाले सुरक्षा गार्डों के नाम और स्थायी और स्थानीय पते को प्रस्तुत करेगा।

23. सुरक्षा एजेंसी मजदूरी का भुगतान मय ईपीएफ, इएसआई एवं अन्य भत्ते सहित करने के प्रमाण, सुरक्षा गार्डों को मजदूरी के संवितरण के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करेगी। इस संबंध में किसी भी विचलन को अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और अनुबंध को बैंक द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा।

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

24. मजदूरी के भुगतान का प्रमाण बिलों के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना है। ई–भुगतान/एनईएफटी के माध्यम से मजदूरी के संवितरण के मामले में, एनईएफटी विवरण दिखाते हुए एक बैंक विवरण स्वीकार किया जाता है, बैंक द्वारा बिलों के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

25. ड्यूटी पर तैनात सभी सुरक्षा गार्डों के लिए वर्दी अनिवार्य है, ऐसा न करने पर कुल बिल का 1 प्रतिशत् से 5 प्रतिशत् जुर्माना के रूप में लगाया जा सकता है, जो बिलों से कटौती योग्य होगा।

26. बैंक अधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान तैनात कोई भी सुरक्षा कर्मी अनुपस्थित पाये जाने पर रू. 200/– दौ सौ रूपये प्रति व्यक्ति, प्रति पाली लगाया जाएगा और बिलों से कटौती योग्य होगा इसके अतिरिक्त उक्त गार्ड के अनुपस्थित दिवस का उस दिन का मानदेय भुगतान नहीं किया जावेगा।

27. सुरक्षा एजेंसी के साथ इस समझौते को एक महीने के नोटिस पर बैंक के विवेक पर समाप्त किया जा सकता है।

28. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी गार्ड उनकी लागत पर नियमित आधार पर बैसिक सुरक्षा ट्रेनिंग के अधीन हो, जिसमें उन्हें अग्नीशामक यंत्र, अन्य सुरक्षा उपकरण व सुरक्षा कार्य का अनुभव हो।

29. सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा गार्ड का पुलिस वैरीफिकेशन कराया जाकर बैंक मुख्यालय मुरैना को उपलब्ध कराया जावेगा।

30. सुरक्षा एजेंसी द्वारा जमा अर्नेस्टमनी 10000/– रूपये बैंक में सुरक्षा निधि के रूप में उनके अंतिम चयन तक जमा रहेंगे, जिसमें यदि सुरक्षा एजेंसी द्वारा बैंक शर्तों एवं प्रतिबंधों का उल्लंघन किया जाता है, तो उक्त जमा अर्नेष्टमनी /सुरक्षा निधि को जप्त कर ली जावेगी। इसके साथ ही अंतिम सफल ऐजेंसी को कार्यादेश जारी होने के परफोरमेंस सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में राशि 1,00,000/– एक लाख रूपये की डिपोजिट बैंक में डी.डी./ हमारी बैंक शाखा अमानत मुरैना में नगद जमा रसीद के आधार पर बैंक मुख्यालय मुरैना को कार्यअवधि समाप्ति तक जमा रहेगी, जिस पर बैंक द्वारा कोई ब्याज प्रदान नहीं किया जावेगा, जिसमें सुरक्षा ऐजेंसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

31. उक्त अनुबंध एक वर्ष के लिये किया जा रहा है एवं उक्त शर्तों एवं प्रतिबंधों अन्तर्गत सेवायें संतोषजनक न होने पर आपका कार्यादेश बीच में ही निरस्त कर दिया जावेगा।

शाखा स्थलों पर निजी सशस्त्र गार्ड के कर्तव्य निम्नानुसार रहेंगेः–

1. ड्यूटी पर सुरक्षा गार्ड हर समय सतर्क रहना चाहिए।
2. ग्राहकों द्वारा शाखा के अंदर किसी भी शस्त्र और गोला–बारूद की अनुमति न दें।

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

3. किसी भी व्यक्ति को अपने हेलमेट पर या किसी भी मास्क के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, परन्तु कोविड नियमों के तहत मास्क एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कराने का दायित्व सुरक्षा गार्ड का होगा।
4. यदि कोई भी किसी बैग, या संदिग्ध वस्तु आदि के सुरक्षा गार्ड को पीछे छोड़ता है, तो तुरंत शाखा प्रबंधक, सुरक्षा अधिकारी या सिविल पुलिस को सूचित करें।
5. ड्यूटी पर सुरक्षा गार्ड को किसी भी कारण से ग्राहकों की शिकायतों को संभालना नहीं चाहिए। हालाँकि वह ग्राहक के प्रति विनम्र होगा।
6. क्षेत्र में किसी अशांति के मामले में, सुरक्षा गार्ड को रोलिंग शटर को नीचे करना चाहिए और शाखा प्रबंधक को सूचित करना चाहिए।
7. उसे ऐसे ग्राहकों को संभालना चाहिए जो नशे अथवा एक विषम स्थिति में आते हैं।
8. उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शाखा स्थल को भारी वाहनों आदि की पार्किंग द्वारा अस्पष्ट / अवरुद्ध न किया जाए।
9. ड्यूटी पर रहते हुए सुरक्षा गार्ड अपने हथियार ले जाएगा और हर समय उचित वर्दी में रहेगा।
10. सिक्योरिटी गार्ड को अपने कर्तव्य की जगह नहीं छोड़नी चाहिए जब तक कि ठीक से राहत न मिले।
11. किसी भी अप्रिय घटना की सूचना शाखा प्रबंधक/अधिकृत अधिकारी और स्वयं सुरक्षा अधिकारी को दें।

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

ANNEXURE-A (अनेक्जर–''अ'')

(सुरक्षा सेवाओं के लिए निविदा के लिए आवेदन पत्र (तकनीकी बोली)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मुरैना
मुख्यालय– हनुमान चौराहे के पास,
सदर बाजार, मुरैना (म.प्र.) 476 001

विषयः **बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड सेवाओं हेतु निविदा।**

1. ऐजेंसी का नाम :
2. ऐजेंसी का मुख्यालय पता :
3. ऐजेंसी का लोकल पता (यदि हो) :
4. स्थापना की तिथि :
5. ऐजेंसी की स्थिति :
   (प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म /प्रोपराइटरशिप, कॉपी संलग्न की जाए)
6. निदेशकों/साझेदारों/मालिक/सीईओ/पदनाम सहित संपर्क व्यक्ति का नामः

स.क्र.	नाम	फोन नं.	मोबाइल नं.	ई–मेल

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

7. बैंक जानकारी :

7.1) लाभार्थी का नामः

7.2) बैंक का नामः

7.3) बैंक शाखा और बैंक का पताः

7.4) बैंक का IFSC कोडः

7.5) प्रकृति / बैंक खाते का प्रकार
(सेविंग/करेंट/सीसी/ओडी):

7.6) खाता संख्याः

7.7) बैंक का MICR कोड :

8. आपकी एजेंसी/फर्म सुरक्षा सेवाओं में कब और कितने समय से काम कर रही है?

9. ऐजेंसी में कुल पूर्णकालीक बंदूकधारी सुरक्षा गार्डो की संख्या (दिनांक 30 अप्रेल 2022 की स्थिति पर)

10. क्या आपकी फर्म/संगठन भागीदारों/शेयरधारकों/निदेशकों सहित है। कभी किसी राज्य या किसी न्यायालय द्वारा काली सूची में डाला गया/ अभियोजित किया गया हो, यदि हाँ, तो विवरण दें।

11. सांविधिक आवश्यकताओं :

स. क्र.	वैधानिक दस्तावेज (प्रमाणित /सत्यापित प्रति संलग्न की जानी चाहिए)	पंजीकरण/ लाइसेंस संख्या का उल्लेख करें।
1	ईएसआई पंजीकरण प्रमाण पत्रः	
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत पंजीकरणः	
3	निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकरण / वैध लाइसेंसः	

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

स. क्र.	वैधानिक दस्तावेज (प्रमाणित /सत्यापित प्रति संलग्न की जानी चाहिए)	पंजीकरण/ लाइसेंस संख्या का उल्लेख करें।
4	ठेका श्रम ***(पंजीकरण और उन्मूलन) अधिनियम, (केंद्रीय /राज्य)*** के तहत वैध लाइसेंस :	
5	पैन कार्ड :	
6	जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन :	
7	सशस्त्र सुरक्षा सेवाओं के संचालन के लिए पुलिस प्राधिकरण से अनुमति :	

(उक्त निविदा शर्तों अन्तर्गत सभी दस्तावेजों की सत्यापित/प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जावे)

12. निविदा शुल्क और ईएमडी का विवरणः

डी.डी./ बैंक शाखा अमानत मुरैना की रसीद का विवरण	निविदा आवेदन शुल्क 200/– दो सौ रूपये	ई.एम.डी. राशि 10000/– दस हजार रूपये।
डी.डी. नं./ रसीद ***(रसीद की स्थिति में केवल ''बैंक शाखा रसीद'' लिखे।***		
दिनांक :		
जारीकर्ता बैंक एवं शाखा का नामः		

नोटः **बैंक शर्तों अनुसार सभी दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**

:घोषणाः

हमने प्रोफार्मा में संलग्न निर्देशों को पढ़ लिया है और / हम समझते हैं कि यदि बाद की तारीख में किसी भी गलत जानकारी का पता चलता है, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हमारे और बैंक के बीच किए गए किसी भी भविष्य के अनुबंध को माना जा सकता है। बैंक द्वारा अमान्य और / हम परिणामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। हम सहमत हैं कि सेवा प्रदाताओं के चयन में बैंक का निर्णय अंतिम और मुझ पर बाध्यकारी होगा।

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

मेरे/हमारे द्वारा यहां दी गई सभी जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं मैं/हम सहमत हैं कि मैं मैं/हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त के संदर्भ में, निविदा का हिस्सा बनने वाले निर्देशों, नियमों और शर्तों की जांच और समझ के बाद, हम एतद्द्वारा उल्लिखित परिसर में सशस्त्र सुरक्षा सेवाएं देने के लिए अपना प्रस्ताव संलग्न करते हैं।

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि प्रस्ताव निविदा में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुरूप है।

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

ANNEXURE-B (अनेक्जर–''ब'')

सशस्त्र सुरक्षा सेवाओं के लिए वित्तीय बोली

(निविदाकार के लेटर–हेड पर दी जावे)

निविदा का ऐजेंसी का नामः

Sl.	Payment Details	Civil- Gun	Ex-servicemen Gun	Other
1*.	Basic Pay *(per month per 8 hours 26 daye)*			
2*.	Employees Provident Fund (EPF) @_________% of Basic Pay			
3*.	Employees State Insurance (ESI) @ _________% of Basic Pay			
4*.	Admin Charges. _____% (नियोक्ता द्वारा जमा किये जाने वाला EPF / ESI फण्ड में मिलाकर नियमानुसार जमा किये जाने वाला फण्ड)			
5.	Bonus			
6.	Service Charges @_________%			
7.	Other ________			
	Grand Total *(Including All Statutory charges)*			

नोटः *उक्त टेंडर फॉर्म में स.क्र. 1 से 4 तक दिये गये विन्दु अनिवार्यतः पृथक–पृथक दिया जाना अनिवार्य है। निविदा का आंक्कलन न्यूनतम पाये जाने वाले ग्रांड टोटल (कुल योग) में पाई जाने वाली प्रति गार्ड प्रति माह (26 दिवस) 8 घंटे कार्य दिवस के आधार पर किया जावेगा।

1. **उक्त टेंडर फॉर्म में जी.एस.टी./सर्विस टेक्स उक्त दरों को अंकित ना करें। जी.एस.टी. /सर्विस टेक्स का भुगतान प्रस्तुत बिल के आधार पर नियमानुसार बैंक भुगतान करेगी, जो कि न्यूनतम टेंडर दरों के आंक्कलन करने में नहीं जोड़ा जावेगा।**
2. **उक्त निविदा फॉर्म में यदि कोई कॉलम खाली छोड़ा गया है एवं योग में दरें इकजाई प्रस्तुत की जाती है, तो यह माना जावेगा कि आपके द्वारा प्रस्तुत की गई दरों में गार्डों को दिये जाने वाले सभी भत्ते एवं चार्जेज सम्मलित है।**
3. **निविदाकर्ता द्वारा नियोजित कर्मियों के लिए भुगतान किए जाने वाले ईपीएफ और ईएसआई तथा एडमिन चार्जेज अंशदान की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। परंतु समय–समय पर इस संबंध में जारी शासन के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।**
4. **सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करना सुरक्षा एजेंसी/कंपनी की एक मात्र जिम्मेदारी है।**
5. **टीडीएस देय राशि से नियमानुसार वसूल किया जाएगा।**

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

अन्य अनिवार्य आवश्यकताएंः

1) अगले महीने का बिल जमा करते समय हर महीने पीएफ / ईएसआई और जीएसटी के प्रेषण का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा न करने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।
2) मजदूरी के भुगतान का प्रमाण बिलों के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना है।
3) ई–भुगतान/एनईएफटी के माध्यम से मजदूरी के संवितरण के मामले में, एनईएफटी विवरण दिखाते हुए एक बैंक विवरण स्वीकार किया जाता है, बैंक द्वारा बिलों के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4) ड्यूटी पर तैनात सभी सुरक्षा गार्डो के लिए वर्दी अनिवार्य है, ऐसा न करने पर कुल बिल का 1 प्रतिशत् से 5 प्रतिशत् जुर्माना के रूप में लगाया जा सकता है, जो बिलों से कटौती योग्य होगा।
5) बैंक अधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान तैनात कोई भी सुरक्षा कर्मी अनुपस्थित पाये जाने पर रू. 200/– दो सौ रूपये प्रति व्यक्ति, प्रति पाली लगाया जाएगा और बिलों से कटौती योग्य होगा इसके अतिरिक्त उक्त गार्ड के अनुपस्थित दिवस का उस दिन का मानदेय भुगतान नहीं किया जावेगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने इस निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें निहित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और मैं/हम स्वयं उनका पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं।

दिनांक :

नाम :
पद :
पता :

(सेवा प्रदाता के मुहर सहित हस्ताक्षर)